न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री छोगाराम देवासी, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 07/2016 (राजस्व अपील)

अनवान

1. श्री डुंगरलाल पिता सवा कुम्हार, निवासी पलोदड़ा, तहसील सराड़ा, जिला उदयपुर।

—प्रार्थी/अपीलान्ट

बनाम

1. सरकार जरिये तहसीलदार सराड़ा, जिला उदयपुर।

— विपक्षी/रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री रमेश नन्दवाना, अधिवक्ता अपीलान्ट।
2. श्री मनोज पंवार, राजकीय अधिवक्ता।

अपील कार्यवाही अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
अपील विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार सराड़ा आदेश दिनांक 10.08.2015

* निर्णय *

दिनांक— 11-02-2017

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने इस न्यायालय मे एक प्रार्थना पत्र अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार सराड़ा निर्णय दिनांक 10.08.2015 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी के स्वामित्व एवं खातेदारी की कृषि भूमि मौजा पलोदड़ा, तहसील सराड़ा मे स्थित है, जिसके खाता संख्या नये 224 एवं पुराने 310 हैं। अपीलार्थी के संयुक्त खातेदारी मे कुल किता 8 मे 0.81हे. भूमि मे आधा हिस्सा हैं। अपीलार्थी इस भूमि पर कृषि कार्य करके अपनी अजीविका चलाता हैं। अपीलार्थी को अपने हिस्से मे होने वाली फसल घास वगैरह रखने तथा मवेशियों को बांधने के लिये मकान की आवश्यकता थी, इसलिये उसने अपनी कृषि भूमि पर निर्माण कार्य चालू किया। अपीलार्थी का पूर्व मे निर्मित मकान गिर चुका था। ऐसी स्थिति मे निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक था, जो विधि अनुसार अपीलार्थी कराने का अधिकारी हैं, किन्तु कतिपय लोगों द्वारा अपीलार्थी की शिकायत कर दी तथा तहसीलदार सराड़ा ने पटवारी की रिपोर्ट पर दिनांक 10.08.2015 को अपीलार्थी का निर्माण कार्य रोकने एवं निर्माण सामग्री जब्त कर नीलामी का आदेश दिया है। खातेदार कृषक अपने खातेदारी की भूमि मे से 1/10वें हिस्से या 500 मीटर तक भूमि पर निर्माण कार्य अपनी फसल की सुरक्षा एवं मवेशियों के शेड़ बनाने के लिये कर सकता हैं, जो कि कृषि कार्य का ही हिस्सा हैं। अपीलार्थी निर्धन सीमान्त कृषक है, उसने काफी मेहनत करके, पैसा इकट्ठा करके निर्माण के लिये निर्माण सामग्री एकत्रित की हैं, उसे जब्त कर लेने से अपीलार्थी को भारी असुविधा एवं क्षति हुई हैं, जबकि इस तरह का आदेश दिये जाने का कोई औचित्य नहीं हैं। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सराड़ा द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.08.2015 को अपास्त किये जाने का श्रम करावें।

प्रकरण बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं विपक्षी/रेस्पोडेन्ट को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये गये। प्रकरण मे तहसीलदार से आदेश दिनांक 10.08.2015 से संबंधित मूल पत्रावली तलब की जाकर बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को अपीलान्ट अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। बहस प्रांरभ करते हुए अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा अपने अपील प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराया। बहस मे भाग लेते हुये राजकीय अधिवक्ता द्वारा न्यायालय को अवगत कराया कि मौजा पलोदड़ा, तहसील सराड़ा की आराजी संख्या 1514 रकबा 0.05हे., 1515 रकबा 0.11हे. भूमि राजव रेकर्ड मे खातेदार यशोदा पत्नि राजराजेश्वर, नीलम पत्नि राजगिरीश, माधुरी पत्नि राजजीवन 1/6 चुन्नीलाल मावा पिता रोड़ा 1/3हि. डुंगरी पिता सवा 1/2 कुम्हार के नाम दर्ज रेकर्ड होकर आराजी संख्या 1514 रकबा 0.05हे. मे से 0.02हे. एवं आराजी संख्या 1515 रकबा 0.11हे. मे से 0.02हे. कुल 0.04हे. भूमि पर सह खातेदार डुंगरी पिता सवा कुम्हार निवासी पलोदड़ा द्वारा कृषि भूमि पर बिना सम्परिवर्तन कराये पक्का निर्माण कार्य करवाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार सराड़ा को प्रस्तुत करने पर तहसीलदार सराड़ा द्वारा जरिये पत्र क्रमांक राजस्व/015/619 दिनांक 07.08.2015 को नोटिस जारी किया गया एवं निर्माण कार्य को तुरन्त रोका जाकर एवं निर्माण सामग्री जब्त कर नीलामी का आदेश दिया है, जो नियमानुसार हैं। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावें।

हमने उभय पक्ष की बहस सुनी एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र, अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध जमाबंदी की नकल एवं वर्णित तथ्यों आदि का गंभीरता से अध्ययन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि प्रकरण मौजा पलोदड़ा की आराजी संख्या 1514 रकबा 0.05हे. मे से 0.02हे. एवं 1515 रकबा 0.11हे. मे से 0.02हे. कुल 0.04हे. कृषि भूमि पर सह खातेदार अपीलान्ट द्वारा बिना सम्परिवर्तन कराये निर्माण कार्य कराये जाने से संबंधित हैं। उक्त वर्णित भूमि पर सह खातेदार डुंगरी पिता सवा कुम्हार निवासी पलोदड़ा द्वारा कृषि भूमि पर बिना सम्परिवर्तन कराये पक्का निर्माण कार्य करवाने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार सराड़ा को प्रस्तुत करने पर तहसीलदार सराड़ा द्वारा दिनांक 10.08.2015 को निर्माण सामग्री जब्तगी कर नीलामी की कार्यवाही करने हेतु आदेश दिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट मे भी यह तथ्य स्पष्ट है कि पूर्व मे भी अपीलान्ट को बिना सम्परिवर्तन कराये निर्माण न करने हेतु पाबंद किया गया था, किन्तु उसके बावजूद बिना सम्परिवर्तन निर्माण कराये जाने से तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही नियमानुसार की जाना प्रतीत होती हैं।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 खारिज किया जाता है एवं अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सराड़ा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.08.2015 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(छोगाराम देवासी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर